फॉर्म ए
सार्वजनिक सूचना
(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन 6 के तहत
(कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया) रेगुलेशन, 2016)
सिर्फ मे. रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के 'रहेजा रेवांटा' प्रोजेक्ट के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1	कॉरपोरेट ऋणी का नाम	रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, (कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया केवल 'रहेजा रेवांता', गुड़गांव प्रोजेक्ट तक सीमित)
2	कॉरपोरेट ऋणी के निगमन की तिथि	27/11/1990
3	वह प्राधिकरण जिसके तहत कॉरपोरेट ऋणी निगमित / पंजीकृत है	Registrar of Companies (ROC), Delhi - 1.
4	कॉरपोरेट ऋणी की कॉरपोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	**CIN - U45400DL1990PLC042200**
5	कॉरपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और मुख्य कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** डब्लू 4 डी, 204/5, केशव कुंज कारियप्पा मार्ग, वेस्टर्न एवेन्यू, सैनिक फार्म्स, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110062. **प्रोजेक्ट साइट:** गांव शिलोखपुर जिला, सेक्टर 78, गुड़गांव, हरियाणा।
6	कॉरपोरेट ऋणी के संबंध में दिवाला शुरू होने की तिथि	**June 08, 2026 NCLT,** Delhi Bench in CP(IB)182 / ND / 2024
7	दिवाला समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	**दिसंबर 05, 2026 (प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180 दिन)।**
8	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य कर रहे दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	**टू आईपीई एलएलपी** अधिकृत प्रतिनिधि श्री अय्यागारी विश्वनाथ सरमा के माध्यम से **IBBI Regn. No.: IBUBUI/IPUE-0151/IPUA-1/2023-24/50052**
9	BUOARUD के पास पंजीकृत अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई-मेल	पताः डी-501, गणेश मेरिडियन, हाई कोर्ट के सामने, एस.जी. रोड, अहमदाबाद - 380060 **ईमेल: jain_cp@yahoo.com**
10	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	**पताः** टू आईपीई एलएलपी - 61, नेशनल पार्क बेसमेंट, लाजपत नगर 4, नई दिल्ली-110024 **ईमेल: cirp.rahejarevanta@gmail.com**
11	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	**22 जून, 2026 (यानी, आदेश की तिथि से 14 दिन)**
12	सेक्शन 21 के सब-सेक्शन (6A) के क्लॉज. (b) के तहत, अगर कोई लेनदारों की श्रेणियां हैं, तो उनकी पहचान अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा की जाएगी।	**रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "रहेजा रेवांता" के आवंटी**
13	एक श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवाला पेशेवरों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	आवंटियों के लिए: 1) अजय कुमार सिवाच रजि. संख्या: IBUBUI/IPUA-002/IPUN00668/2018-201912214/ 2) राहुल माहेश्वरी रजि. संख्या: IBUBUI/IPUA-002/IPU-N01046/2021-202213625/ 3) सतीश कुमार चुघ पंजीकरण संख्या: IBUBUI/IPUA-003/IPU-N00270/2020-202113196/
14	(ए) प्रासंगिक फॉर्म और (बी) अधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण यहाँ उपलब्ध हैं:	a) वेबलिंक: **https://ibbi.gov.in/home/downloads** b) https://ibbi.gov.in/insolvency-professional

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), नई दिल्ली पीठ ने **08 जून, 2026 को मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के रहेजा रेवांता प्रोजेक्ट** की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के रहेजा रेवांता प्रोजेक्ट के लेनदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे 22 जून, 2026 को या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर के पास प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ईमेल) से ही प्रस्तुत करेंगे।

अन्य सभी लेनदार अपने दावे प्रमाण के साथ व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या १२ के तहत आने वाली श्रेणी के वित्तीय लेनदार, प्रविष्टि संख्या १३ के तहत सूचीबद्ध तीन दिवाला पेशेवरों में से अपनी पसंद के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम फॉर्म सीए में इंगित करेंगे, जो "रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट - रहेजा रेवांता के आवंटी" श्रेणी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकें।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टू आईपीई एलएलपी
अधिकृत प्रतिनिधि श्री अय्यागारी विश्वनाथ सरमा के माध्यम से
अंतरिम समाधान पेशेवर: मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (प्रोजेक्ट - 'रहेजा रेवांता')
स्थानः नई दिल्ली — **Regn. No. IBBI/IPE-0151/IPA-1/2023-24/50052**
दिनांकः 10.06.2026 — **AFA Valid till 31.12.2026**

CORRIGENDUM TO PUBLIC NOTICE

In continuation of the Public Notice published on 05.06.2026 in the English and Hindi editions of Business Standard regarding Flat No. 2504, 24th Floor, Tower A-1, Cleo County, Plot No. GH-05, Sector-121, Noida, District Gautam Budh Nagar, it is clarified that due to a typographical error, the period for submission of claims/objections was mentioned as 15 days. The same shall be read as 7 days from the date of publication of the said notice. All other contents of the Public Notice remain unchanged.

ANKUR JINDAL, ADVOCATE
B-215, Lohia Nagar, Ghaziabad-201001

मैं, गोपाल दास, पिता श्री रविंदर दास, निवासी मकान नंबर E-43/A-350, न्यू सीमापुरी, पूर्वी दिल्ली, निम्नलिखित प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ: फ्लैट नंबर B-1/G-4, ग्राउंड फ्लोर, MIG कैटेगरी, शताब्दी अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर B-1, खसरा नंबर 1076/5/2/257, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095। मैं इसे जूनू सैकिया उर्फ पुष्पालता सोनोवाल (असम गजट नोटिफिकेशन नंबर 768/97) से खरीद रहा हूँ, जो स्वर्गीय श्री ललित सैकिया की बेटी और स्वर्गीय श्री बिमल चंद्र सोनोवाल की पत्नी हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 31.08.1999 का है।
अगर किसी को इस लेन–देन के बारे में कोई आपत्ति है, तो वे इस नोटिस के छपने की तारीख से 5 दिनों के अंदर ऊपर बताए गए पते पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

लिमिटेड टेंडर NB&ET/Fintech/RFP/2026-27/01 के लिए आमंत्रण

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, OPEX मॉडल के तहत 'भारत कनेक्ट- बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (BOU)' सेवाएं देने के लिए वेंडर चुनने के लिए लिमिटेड टेंडर NB&ET/Fintech/RFP/2026-27/01 के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करता है. (यह केवल सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के फिनटेक पोर्टल के माध्यम से सूचीबद्ध सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है). अधिक जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट www.centralbank.bank.in/ पर जाएं. बिड जमा करने की आखिरी तारीख: 23.06.2026, दोपहर 3.00 बजे तक.

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 27बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई 400 051 कॉर्पोरेट कार्यालयः कोटक इनफिनिटी, बिल्डिंग नंबर 21, इन्फिनिटी पार्क, जनरल एके वैद्य मार्ग, मलाड (पू.), मुंबई 400 097 www.kotak.com

नीलामी - सूचना

नीचे उल्लिखित कर्जदारों ने स्वर्ण आभूषणों/वस्तुओं की प्रतिभूति के विरुद्ध स्वर्ण ऋण सुविधा का लाभ उठाया था, जैसा कि नीचे बताया गया है। कर्जदार ने किश्तों और बकाया राशि का उचित भुगतान करने में चूक की, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को बकाया राशि चुकाने के लिए कर्जदार को नोटिस जारी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालाँकि, कर्जदार अपना बकाया चुकाने/निपटाने में विफल रहा है, जिसके कारण बैंक को बैंक के पक्ष में गिरवी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की नीलामी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
नीचे उल्लिखित स्वर्ण आभूषणों की नीलामी दिनांकः 20-जून-2026 को/उसके बाद आयोजित की जाएगी समयः सुबह 10.00 बजे स्थानः संबंधित शाखा परिसर//ई-नीलामी

आवेदन	एपीएसी/ खाता सं.	कर्जदार का नाम	राज्य	लोकेशन	शाखा	सकल भार (ग्राम में)
GLN	4409132	अचल शर्मा	दिल्ली	दिल्ली	अंबलॉक	43.10
GLN	4437070	सनी दलाल	दिल्ली	दिल्ली	बहादुरगढ़	142.50
GLN	4439241	सनी दलाल	दिल्ली	दिल्ली	बहादुरगढ़	100.00
GLN	4253498	अमित	दिल्ली	दिल्ली	बहादुरगढ़	9.74
GLN	4208711	अतुल कुमार	दिल्ली	दिल्ली	बसाई आगरा	36.70
GLN	4128133	मोहम्मद वसी	दिल्ली	दिल्ली	बिजनौर	126.70
GLN	4134205	दीपक चौधरी	दिल्ली	दिल्ली	बिजनौर	45.60
GLN	4458637	सादिक	दिल्ली	दिल्ली	बिजनौर	44.20
GLN	4207040	कविता कुमारी	दिल्ली	दिल्ली	बिजनौर	77.10
GLN	4352878	वसीम अकरम	दिल्ली	दिल्ली	बिजनौर	290.60
GLN	4448634	साबिर	दिल्ली	दिल्ली	बिजनौर	44.50
GLN	4441401	रशीद	दिल्ली	दिल्ली	बिजनौर	16.40
GLN	4431451	मोनू कुमार	दिल्ली	दिल्ली	बिजनौर	14.40
GLN	3588349	सुजीत कुमार सिंह	दिल्ली	दिल्ली	द्वारका सेक्टर 5	50.30
GLN	4427922	मार्कण्डेय पाठक	दिल्ली	दिल्ली	द्वारका सेक्टर 5	98.60
GLN	4458077	सच्चिदानंद गुप्ता	दिल्ली	दिल्ली	द्वारका सेक्टर 5	191.60
GLN	4442846	गजेन्द्र सिंह द्राल	दिल्ली	दिल्ली	द्वारका सेक्टर 5	1,862.30
GLN	4443977	पिंकी	दिल्ली	दिल्ली	द्वारका सेक्टर 5	548.50
GLN	4440058	पिंकी	दिल्ली	दिल्ली	द्वारका सेक्टर 5	1,415.90
GLN	4458154	सच्चिदा नंद गुप्ता	दिल्ली	दिल्ली	द्वारका सेक्टर 5	221.80
GLN	2962841	राघव कुमार मिश्रा	दिल्ली	दिल्ली	द्वारका सेक्टर 5	41.50
GLN	3812020	प्रियंका शाही	दिल्ली	दिल्ली	द्वारका सेक्टर 5	21.70
GLN	4104862	दीपक राणा	दिल्ली	दिल्ली	फरीदाबाद	40.40
GLN	4141074	दीपक राणा	दिल्ली	दिल्ली	फरीदाबाद	55.50
GLN	4163540	दीपक राणा	दिल्ली	दिल्ली	फरीदाबाद	31.40
GLN	4117950	दीपक राणा	दिल्ली	दिल्ली	फरीदाबाद	37.20
GLN	3898905	अचल	दिल्ली	दिल्ली	फरीदाबाद	238.00
GLN	4108291	सलमान	दिल्ली	दिल्ली	गाजियाबाद	54.40
GLN	4263298	दुष्यन्त सूद	दिल्ली	दिल्ली	गाजियाबाद	7.50
GLN	4198900	दुष्यन्त सूद	दिल्ली	दिल्ली	गाजियाबाद	25.70
GLN	3831863	राहुल सिंह	दिल्ली	दिल्ली	गाजियाबाद	8.60
GLN	4114156	शिव कुमार	दिल्ली	दिल्ली	ग्रेटर नोएडा	24.40
GLN	3973580	ध्रुव सैनी	दिल्ली	दिल्ली	ग्रेटर नोएडा	87.20
GLN	4370630	संजीत कुमार गायेन	दिल्ली	दिल्ली	गुरुग्राम एसई	10.30
GLN	4465806	वसीम फारूकी	दिल्ली	दिल्ली	गुरुग्राम एसई	142.70
GLN	4453410	अमित छाबड़ा	दिल्ली	दिल्ली	गुरुग्राम एसई	35.70
GLN	4460333	अन्नू यादव	दिल्ली	दिल्ली	गुरुग्राम एसई	14.30
GLN	4403436	शशिकांत	दिल्ली	दिल्ली	इन्दिरापुरम	41.60
GLN	3852855	मोहम्मद सैफ	दिल्ली	दिल्ली	जसोला विहार	48.39
GLN	3996463	अल्ताफ खान	दिल्ली	दिल्ली	जनकपुरी	155.00
GLN	4085262	विकास कुमार झा	दिल्ली	दिल्ली	कालकाजी	24.20
GLN	4326034	जीनतु निसा	दिल्ली	दिल्ली	लाजपत नगर	12.20
GLN	4253706	दक्ष गुलाटी	दिल्ली	दिल्ली	मॉडल टाउन	74.60
GLN	4367576	दक्ष गुलाटी	दिल्ली	दिल्ली	मॉडल टाउन	78.10
GLN	3996758	कोमल शर्मा	दिल्ली	दिल्ली	नजफगढ़	50.60
GLN	4253802	कोमल शर्मा	दिल्ली	दिल्ली	नजफगढ़	34.70
GLN	4359464	ममता रानी	दिल्ली	दिल्ली	नजफगढ़	30.20
GLN	4391323	ममता रानी	दिल्ली	दिल्ली	नजफगढ़	23.60
GLN	4360117	ममता रानी	दिल्ली	दिल्ली	नजफगढ़	13.90
GLN	4390100	मनीष	दिल्ली	दिल्ली	नोएडा सेक्टर-18	60.10
GLN	4147500	प्रदीप सिंह	दिल्ली	दिल्ली	नोएडा सेक्टर-110	25.20
GLN	4358020	श्वेता चौरसिया	दिल्ली	दिल्ली	प्रीत विहार	44.60
GLN	4182709	वाणी दुग्गल	दिल्ली	दिल्ली	राजा गार्डन	105.50
GLN	3825772	ज्योति विग	दिल्ली	दिल्ली	राजा गार्डन	43.00
GLN	4451890	विनय भारद्वाज	दिल्ली	दिल्ली	रोहिणी	83.10
GLN	4149029	वीरेश कुमार	दिल्ली	दिल्ली	साकेत	34.70
GLN	3938044	विष्णु चौधरी	दिल्ली	दिल्ली	साकेत	151.10
GLN	4129713	विष्णु गौड़	दिल्ली	दिल्ली	साकेत	20.80
GLN	4225188	प्रमोद कुमार	दिल्ली	दिल्ली	सेक्टर-14-गुरुग्राम	114.50
GLN	4435754	राजबीर	दिल्ली	दिल्ली	सेक्टर-14-गुरुग्राम	148.70
GLN	4473604	राजबीर	दिल्ली	दिल्ली	सेक्टर-14-गुरुग्राम	67.50
GLN	4397463	प्रमोद कुमार	दिल्ली	दिल्ली	सेक्टर-14-गुरुग्राम	9.50
GLN	3834123	बिनोद चेट्री	दिल्ली	दिल्ली	सेक्टर-14-गुरुग्राम	19.10
GLN	3867216	रबीश चंद्र यादव	दिल्ली	दिल्ली	साउथ एक्स	124.90
GLN	4357849	सुमित जिंदल	दिल्ली	दिल्ली	साउथ एक्स	405.80
GLN	4004182	भुवेश झा	दिल्ली	दिल्ली	साउथ एक्स	78.30
GLN	4242644	ऋतु चतुर्वेदी	दिल्ली	दिल्ली	साउथ एक्स	42.20
GLN	3879784	अंगद कुमार गुप्ता	दिल्ली	दिल्ली	सूरजपुर	69.10
GLN	4373710	गुरलीन कौर	दिल्ली	दिल्ली	तिलक नगर	169.00
GLN	3857339	अमित कुमार सिंह	दिल्ली	दिल्ली	वसन्त कुंज	98.80
GLN	4323291	सत्यवती	दिल्ली	दिल्ली	वसन्त कुंज	76.40
GLN	3841422	अवतार कौशिक	दिल्ली	दिल्ली	वसन्त कुंज	6.20
GLN	4090840	कृष्णाकांत	दिल्ली	दिल्ली	वृन्दावन	91.80
GLN	3870917	कौसर परवीन	दिल्ली	दिल्ली	यमुना विहार	66.80
GLN	4294302	मोहम्मद अच्छन	दिल्ली	दिल्ली	यमुना विहार	45.60
GLN	4459228	मदीना	दिल्ली	दिल्ली	यमुना विहार	26.30
GLN	4106213	मोहम्मद अच्छन	दिल्ली	दिल्ली	यमुना विहार	114.00
GLN	3810630	कमलेश	दिल्ली	दिल्ली	यमुना विहार	17.40

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सत्यापन के लिए अपने मूल फोटो - पहचान, हस्ताक्षर और पते के सबूत के साथ-साथ 2 (दो) हालिया फोटोग्राफ की एक प्रति नीलामी के दिन सुबह 10:00 बजे से पहले जमा करें। बैंक के पास बोलीदाताओं को बिना कोई सूचना दिए नीलामी का स्थान/दिनांक/समय बदलने या नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
नीलामी प्रक्रिया की लागत ग्राहक के खाते से डेबिट की जाएगी। यदि बोली राशि खाते की भुगतान राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तो बैंक ग्राहक से शेष राशि वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी के नियमों और शर्तों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए, आपको नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों से संपर्क करना होगा।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (पीयूष कुमार)
ईमेल -piyush.kumar6@kotak.com संपर्क -+91-9717667812

Form No. INC-26
{कंपनी नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार}
पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली में
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और
कंपनी नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
एवन स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U74999DL2021PTC375377) के मामले में
जिसका पंजीकृत कार्यालय 504 अशोक भवन 93, नेहरू प्लेस, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, 110019 में स्थित है।..................याचिकाकर्ता

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें सोमवार, 8 जून, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि मांगी जाएगी, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''दिल्ली राज्य'' से ''हरियाणा राज्य'' में स्थानांतरित कर सके।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या किसी अन्य माध्यम से अपने हितों की प्रकृति और विरोध के कारणों का उल्लेख करते हुए हलफ नामे सहित अपनी आपत्तियाँ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर जमा करा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजी जानी चाहिए।

आवेदक की ओर से
एवन स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर/–
प्रदीप शर्मा
निदेशक
डीआईएनः 00290318

दिनांक : 08.06.2026
स्थान : Delhi

प्रपत्र सं.-3
[विनियम–13(1)(क), देखें]
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी– I)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
वाद सं. **TA/17/2025**
अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के तहत सम्मन

Exh. No.: 21267

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
श्रीमती मोनिका तायल

सेवा में,
(1) श्रीमती मोनिका तायल, मैसर्स रुद्र एंटरप्राइजेज की प्रोप्राइटर, पत्नी श्री अमित कुमार, निवासी 2029–बी, प्रथम मंजिल, ओल्ड अनाज मंडी, नरेला, दिल्ली–110040
इसके अलावा: 596ए/23, ओल्ड कोर्ट के पास, रोहतक रोड, सोनीपत, हरियाणा–131001

सम्मन

चूंकि, **TA/17/2025** माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक **07.05.2026** को सूचीबद्ध किया गया था।
चूंकि, यह माननीय न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त आवेदन पर सम्मन/नोटिस जारी करने के लिए प्रसन्न है, जो आपके विरुद्ध **रु. 88,67,956/-** की वसूली हेतु दायर किया गया है (आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न हैं)।
अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार आप प्रतिवादियों को निम्न निर्देश दिया जाता है:–
(i) सम्मन की तामील के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए;
(ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों अथवा आस्तियों का विवरण, प्रस्तुत करें;
(iii) आपको मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के तहत प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों या ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों से निपटने या उनका निपटान करने से रोका जाता है, संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान लंबित है;
(iv) आप किसी भी आस्ति जिस पर कोई प्रतिभूति हित सृजित किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3A के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई सम्पत्तियों तथा आस्तियों का अंतरण बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कोर्स को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;
(v) आप व्यवसाय के साधारण कोर्स में प्रत्याभूत आस्तियों अथवा अन्य आस्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी बिक्री प्राप्तियां इन आस्तियों पर प्रतिभूति हित धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुरक्षित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे।
आपको लिखित बयान दाखिल करने, उसकी प्रति आवदेक को मुहैया कराने तथा दिनांक **12.10.2026** को पूर्वा. **10.30** बजे रजिस्ट्रार के समक्ष पेश हाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
(i) सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइब्रिड मोड (न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर या सिस्को वेबेक्स वीसी लिंक के माध्यम) द्वारा उपस्थित हो सकते हैं। (ii) वीसी के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ता/वादीगण सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन/ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे (iii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी– I/और वसूली अधिकारी– II द्वारा लिए जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तिथि के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" अगली तिथि से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल "i.e.drt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होंगे। (IV) किसी भी आपात स्थिति में, अधिवक्ता/वादी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 011–23748473 पर संपर्क कर सकते हैं।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर **21.05.2026** को दिया गया।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सम्मन जारी करने हेतु

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

क्षेत्रीय कार्यालयः
आरके टॉवर ऑफिस कॉम्प्लेक्स, वुडरो स्कूल के सामने, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली 243006.

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि किश्त/ब्याज/मूल ऋण का भुगतान न करने के कारण, नीचे उल्लिखित खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत देय ब्याज एवं अन्य शुल्क सहित संपूर्ण बकाया राशि उनके अंतिम उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक से मांगी थी लेकिन नोटिस या तो बिना सुपुर्दगी लौटा दी गई थी या उनकी पावती प्राप्त नहीं हुई थी और इस तरह उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है। हम एतद्वारा निम्नलिखित उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधकदारों से इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर, पूर्ण भुगतान होने तक अनुबंधित दर पर और ब्याज के साथ नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहते हैं। डिफॉल्ट रूप से, कानून के तहत उपलब्ध बैंक के अन्य अधिकारों का प्रयोग करने के अलावा, बैंक वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के तहत प्रदान की गई किसी भी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने का इरादा रखता है। सुरक्षित ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक द्वारा लागू की जाने वाली सुरक्षित आस्तियों का विवरण भी नीचे दिया गया है।

शाखा का नाम एवं ऋणी/ गारंटर का नाम व पता,	सरफेशी एक्ट 2002 के अंतर्गत मांग नोटिस की तिथि व राशि	सम्पत्ति का विवरण
उधारकर्ता और बंधककर्ताः मैसर्स शाह जी फर्नीचर हाउस, प्रो. नफीस अहमद, मो. चौक, शेरपुर रेलवे फाटक के पास, पोस्ट पूरनपुर तह पूरनपुर जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश– 262122. श्री नफीस अहमद पुत्र शफीक अहमद, मो साहूकारा लाइन पार, पोस्ट पूरनपुर तह पूरनपुर जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश– 262122. जमानतकर्ताः श्री खतीब अहमद पुत्र शफीक अहमद, मोह साहूकारा लाइन पार, पोस्ट पूरनपुर तह पूरनपुर जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश– 262122. **खाता संख्याः 5377285000004 और 170001343595** **शाखाः ढाका जे पूरनपुर (डीपी कोड 5377).**	रूपये 13,03,803.76 + ब्याज व अन्य खर्चे। मांग नोटिस तिथिः 08.06.2026 एनपीए तिथिः 29.05.2026	आवासीय सम्पत्ति, प्लॉट नंबर 803, मोहल्ला साहूकारा, धनाराघाट रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 75.784 वर्ग मीटर, मालिक श्री नफीस अहमद पुत्र शफीक अहमद। चौहद्दीः विक्रय विलेख के अनुसारः उत्तरः रेलवे की सम्पत्ति, दक्षिणः सैयद हसन का घर, पूर्वः अजमतुल्ला का घर, पश्चिमः धनाराघाट रोड।

दिनांकः 10.06.2026 स्थानः पीलीभीत प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक।

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. **HHLNOD00499292** 1. पंकज कुमार गुप्ता 2. उमेश कुमार गुप्ता	एक यूनिट आवासीय फ्लैट नंबर-एफ.एफ.-2, एम.आई.जी., पहली मंजिल, छत के अधिकारों के बिना, दाहिनी ओर सामने का हिस्सा (सामने दाहिनी तरफ), जिसमें एक ड्राइंग/डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो टॉयलेट, एक किचन और एक बालकनी निर्मित है, जिसका कुल और कवर्ड क्षेत्र 700 वर्ग फीट यानी 65.03 वर्ग मीटर है, जो कि आवासीय प्लॉट नंबर ए-4/3 में स्थित है, ''डी.एल.एफ. अंकुर विहार'', हदबस्त गांव लोनी, परगना और तहसील लोनी, जिला गाज़ियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश। उक्त फ्लैट तीन मंजिला इमारत (जी+2) में स्थित है।	03.09.2024	रु. 21,34,918.50/- (रुपए इक्कीस लाख चौंतीस हजार नौ सौ अठारह और पचास पैसे मात्र) 27.05.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।
उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''
सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
स्थान : गाज़ियाबाद प्राधिकृत अधिकारी

शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली – 110025, सीआईएनः यू65900डीएल2020पीएलसी366027

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/सह–कर्जदारगण, जिनके द्वारा **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड मुख्यालय तृतीय तल, एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर–125, नोएडा–201303** से ऋण सुविधाएं प्राप्त की गई थीं, अपनी क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** को चुकाने में असफल रहे हैं और उनके खाते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए की श्रेणी में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। कर्जदारों ने **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** को अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई है, जिनका विवरण यहां नीचे दिया गया है। कर्जदारों द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड को देय और बकाया राशियों का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है।
कर्जदार/कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूत लेनदार **शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्जदार/कर्जदारों के विरुद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नाम के सामने वर्णित बकाया राशि इस सूचना के 60 दिन के भीतर चुकाने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत उसको प्रदत्त किसी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिनमें सम्पत्तियों का कब्जा लेना और उनको बेचना शामिल है। सर्वसाधारण को नीचे वर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने की सलाह दी जाती है।

कर्जदार/गारंटर एवं बंधकदाता का नाम	प्रतिभूत आस्ति/सम्पत्ति का विवरण
1. श्री मंजीत सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह (कर्जदार/बंधकदाता) फ्लैट सं. 203, ब्लॉक सी, कासावुड स्टॉक, गौर सिटी 2 नोएडा पश्चिम, उत्तर प्रदेश, 201009, **अन्य पता :** फ्लैट सं. 904, ब्लॉक सी, कासावुड स्टॉक, गौर सिटी 2 रोजा याकूबपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201009, **अन्य पता :** ईएक्सएल सर्विसेज, भू तल, गोल्डन टॉवर, एनएसएल बिल्डिंग नोएडा सेक्टर–144, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201034, **अन्य पता :** खेड़ी पट्टी, रणखंडी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश – 247554, **2. श्रीमती सुमन पुंडीर पत्नी श्री मंजीत सिंह (सह–कर्जदार)** फ्लैट सं. 203, ब्लॉक सी, कासावुड स्टॉक, गौर सिटी 2 नोएडा पश्चिम, उत्तर प्रदेश, 201009, **अन्य पता :** सी–1201 के डब्ल्यू सृष्टि, वीवीआईपी मॉल के पास, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201017 **ऋण खाता सं. , मांग सूचना तिथि और राशि** — **ऋण खाता सं. :** 102741527431, 102741529556, 102741531369 **मांग सूचना तिथि :** 05–06–2026 **बकाया राशि :** रु. 63,76,000/– (रुपये तिरेसठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) 04–06–2026 तक **एनपीए तिथि : 03–06–2026**	1. संपत्ति पर न्यायिक बंधक : लीजहोल्ड आवासीय अपार्टमेंट नंबर 203, क्षेत्रफल परिमाप 1098 वर्ग फीट, 103.59 वर्ग मीटर, द्वितीय तल, टावर 3 (सी), कासा वुड स्टॉक, प्लॉट नंबर जीएच–03–ई, गौर सिटी सिटी–2, सेक्टर 16–सी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सब–रजिस्ट्रार ऑफिस बही नंबर 1, जिल्द नंबर 28062, पेज नंबर 183–222, क्रम संख्या 37301 पर पंजीकृत, दिनांकित 16–07–2024, संपत्ति श्री मनजीत सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह के नाम है, चौहद्दी – फ्लोर प्लान के अनुसार 2. संपत्ति पर न्यायिक बंधक : खसरा नंबर 1097 और 1098 पर आवासीय फ्लैट नंबर जे–103, क्षेत्रफल परिताप 807.36 वर्ग फीट, 75.01 वर्ग मीटर, प्रथम तल, टावर जे, दीया ग्रीनसिटी, ग्राम मोरटा, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सब–रजिस्ट्रार ऑफिस बही नंबर 1, जिल्द नंबर 21943, पेज नंबर 393–454, क्रम संख्या 12196 पर दिनांक 17–09–2024 को श्री मनजीत सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह के नाम पंजीकृत, चौहद्दी – फ्लोर प्लान के अनुसार

दिनांक : 05–06–2026, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कॉर्पोरेट कार्यालय: कार्यालय नंबर 501 एवं 503, पंचम तल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई उपनगर (जिला), महाराष्ट्र-400072
बुलंदशहर शाखा: ऑफिस नं. 1, प्रथम मंजिल, गौरव प्लाजा, प्लॉट नं. 2सी/10, आवास विकास प्रथम, बुलंदशहर-203001, उ.प्र.

मांग सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेटे्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेटे्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटेस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता **आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंटेस्ट (इंफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं/या पुर्न प्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो/लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

क्रं.	उधारकर्ताओं एवं सह–उधारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/यां)
1	(लोन कोड नं. 45210000262/ बुलंदशहर शाखा) हरिओम सिंह (ऋणी), बबीता, नवीन कुमार एवं कन्हैया लाल (सह-ऋणी)	**03-06-2026 & ₹ 8,96,741/-**	संपत्ति का संपूर्ण एवं शेष भाग, आवासीय मकान का क्षेत्रफल 141 वर्गमीटर, खसरा नं. 58 पर स्थित, नागला वारिया परगना कौल, तहसील गभाना, जिला अलीगढ़ **चतुर्सीमाएँ:** पूर्व : 33 फीट के बाद जनकसिंह का मकान, पश्चिम : 33 फीट के बाद 10 फीट का रास्ता, उत्तर : 46 फीट के बाद नवीनसिंह का प्लॉट, दक्षिण : 46 फीट के बाद जयराम का मकान

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13(4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी।
उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

स्थान : उत्तर प्रदेश — **सही/– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 10.06.2026 — **वास्ते – आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. **HLAPCHA00258066/ HLAPCHA00498569** 1. सुमित रावत (प्रोपराइटर) पार्वती एसोसिएट्स 2. पूजा रावत	प्राइवेट प्रॉपर्टी नंबर 122, भूमि के सभी भाग और खंड और दो व्यावसायिक दुकानें, बेअरिंग खाता नंबर 131, खसरा नंबर 142 मिन रकबा 0.011 हेक्टेयर, 170 मिन रकबा 0.009 हेक्टेयर, कुल क्षेत्र 0.020 हेक्टेयर। 2160 वर्ग फीट, यानी 200.74 वर्ग मीटर के बराबर है। जो गांव हरिपुर पूरानंद में स्थित है, परगना भावर चा खाता, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल, हल्द्वानी–263139, उत्तराखंड।	06.07.2023	रु. 91,36,055.32/- (रुपए इक्यानवे लाख छत्तीस हजार पचपन और बत्तीस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 के विरुद्ध) और रु. 35,97,414.20/- (रुपए पैंतीस लाख सत्तानवे हजार चार सौ चौदह और बीस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 2 के विरुद्ध) कुल बकाया राशि रु. 1,27,33,469.52/- (रुपए एक करोड़ सत्ताईस लाख तैंतीस हजार चार सौ उनहत्तर और बावन पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 और 2 के विरुद्ध) 25.05.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।
उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''
सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
स्थान : हल्द्वानी प्राधिकृत अधिकारी

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. **M006XXXI-01** आईएचएफएल (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड (''एससीएल'') के नाम से जाना जाता है) का पूर्व ऋण खाता क्र. **HLAPMAT00223758 / M006XXXI-02** आईएचएफएल (अब सम्मान कैपिटल लिमिटेड (''एससीएल'') के नाम से जाना जाता है) का पूर्व ऋण खाता क्र. **HLAPMAT00364831** 1. धर्मेंद्र कुमार (सह–उधारकर्ता, स्वर्गीय शांति देवी का पुत्र और कानूनी उत्तराधिकारी) प्रोपराइटर मां वैष्णो ट्रेडिंग कंपनी 2. अजीत सिंह (सह–उधारकर्ता, स्वर्गीय शांति देवी का पुत्र और कानूनी उत्तराधिकारी) 3. मनोज कुमार (सह–उधारकर्ता, स्वर्गीय शांति देवी का पुत्र और कानूनी उत्तराधिकारी)	प्लॉट बेअरिंग नंबर 285 और 286 के हिस्से की भूमि/संपत्ति के सभी भाग या खंड, जिसका माप पूर्व से पश्चिम 45 फीट और उत्तर से दक्षिण 36 फीट है, कुल क्षेत्रफल 180 वर्ग गज यानी 150.49 वर्ग मीटर है, जो खसरा नंबर 164 का हिस्सा है, मोजा पाली खेरा में स्थित है, श्री नाथ पुरम कॉलोनी के अंदर, तहसील और जिला मथुरा, मथुरा–281004, उत्तर प्रदेश।	25.02.2022 (लोन सुविधा नंबर 1 और 2 के विरुद्ध)	रु. 34,89,900/- (रुपए चौंतीस लाख नवासी हजार नौ सौ मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 के विरुद्ध) और रु. 27,01,913/- (रुपए सत्ताईस लाख एक हजार नौ सौ तेरह मात्र) (लोन सुविधा नंबर 2 के विरुद्ध) कुल बकाया राशि रु. 61,91,813/- (रुपए इकसठ लाख इक्यानवे हजार आठ सौ तेरह मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 और 2 के विरुद्ध) 06.05.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।
उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''
सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
इंडियाबुल्स एआरसी–XXXI ट्रस्ट के ट्रस्टी
स्थान : मथुरा प्राधिकृत अधिकारी